भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3570

11.08.2025 को उत्तर के लिए

जानवरों का अवैध शिकार

3570. श्री यूसुफ पठानः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्राप्त रिपोर्टों की जानकारी है, जिनमें जब्त की गई हड्डियों के प्रयोगशाला विश्लेषण के अनुसार मध्य प्रदेश के श्योपुर के निकट तीन बाघों और एक तेंदुए के अवैध शिकार की पुष्टि हुई है;

(ख) देश में, विशेष रूप से बाघों के आवासों में, बाघों और वन्यजीवों के शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बाघों के आवासों में बाघों की आबादी की निगरानी की स्थिति क्या है और सरकार शिकारियों से उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रही है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के श्योपुर के निकट हड्डियों के 225 टुकड़ों की जब्ती के संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जाँच में वर्तमान प्रगति क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने श्योपुर, मध्य प्रदेश के निकट बड़ी बिल्लियों से संबंधित वस्तुओं की जब्ती की सूचना दी है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से बाघों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. **प्रजातिगत उपाय**

- संरक्षण, बुनियादी ढांचे और अवैध शिकार विरोधी कार्यों (बाघ संरक्षण बल और विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती सहित) के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना "बाघ परियोजना" जो अब केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'बाघ और हाथी परियोजना' के रूप में चल रही है, के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- शिकारियों/वन्यजीव अपराधियों से संबंधित पिछला/आगे की कड़ी की वास्तविक समय सूचना का प्रसार करना।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यवेक्षी क्षेत्रीय दौरे करना।
- कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बाघ अभयारण्य स्तर पर निगरानी शुरू करना ताकि प्रत्येक बाघ की फोटो पहचान डेटाबेस रखा जा सके।
- जब्त किए गए बाघों या मृत बाघों के शरीर के अंगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रत्येक बाघ की तस्वीर का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।
- क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए संरक्षण हेतु बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल तैनात करने में राज्यों की सहायता करना।
- बाघों की खाल सहित शरीर के अंगों की जब्ती के बारे में बाघ क्षेत्र के देशों के बीच जानकारी साझा करना ताकि स्रोत क्षेत्र का पता लगाया जा सके।

2. सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रत्येक बाघ अभयारण्य के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य व्यापक बाघ संरक्षण योजना में क्रियान्वित है।

3. सुरक्षा लेखा परीक्षा

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने और स्थल-विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु एक रूपरेखा विकसित की है, जिसे चरण-I में 25 विभिन्न बाघ अभयारण्यों में पूरा कर लिया गया है और शेष बाघ अभयारण्यों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

4. एम-स्ट्रिप्स (बाघों की गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिक स्थिति हेतु निगरानी प्रणाली)

यह एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन है जिसमें तीन अलग-अलग मॉड्यूल हैं: गश्ती मॉड्यूल, पारिस्थितिक मॉड्यूल और संघर्ष मॉड्यूल। गश्ती मॉड्यूल, अन्य बातों के साथ-साथ, शिकार विरोधी प्रयासों के संबंध में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तंत्र है और एम-स्ट्रिप्स के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, बाघ अभयारण्य प्रबंधन के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने हेतु उपयोगी है।

5. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन

भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया और बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र से संबंधित अपराध या बाघ अभयारण्यों में शिकार या बाघ अभयारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अपराध के लिए दंड को बढ़ा दिया।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पर्यावरण विकास, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, स्वैच्छिक गांव पुनर्वास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बाघ क्षेत्रों वाले राज्यों को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के प्रोजेक्ट टाइगर घटक के तहत वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है, जो टाइगर रिजर्व के संचालन की संस्वीकृत वार्षिक योजना के अनुसार है, जो एक वैधानिक बाघ संरक्षण योजना से निकलती है।

वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है, जिसकी अनुमानित संख्या 3682 (रेंज 3167-3925) है, जबकि 2018 में यह 2967 (रेंज 2603-3346) और 2014 में 2226 (रेंज 1945-2491) थी।

(घ) एवं (ङ) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश द्वारा दो पंजीकृत मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

*****